छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20–54/2015/11/(6) नया रायपुर दिनांक 17/06/2015

राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित ''मार्जिन मनी अनुदान'' योजना का लाभ राज्य के महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को देने हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को वित्त पूर्ति में सहायता हेतु **छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम** निम्नानुसार लागू करता है :–

(1) नियम :–

ये नियम **''छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014''** कहे जावेगें।

(2) प्रभावशील होने का दिनांक :–

ये नियम दिनांक 01 नवम्बर 2014 से प्रभावी माने जावेंगे।

(3) परिभाषाएँ :–

इस अधिसूचना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी व मार्जिन मनी अनुदान योजना से संबंधित अन्य बिन्दुओं के लिए परिभाषाएँ वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 में अधिसूचित की गई हैं ।

(4) पात्रता

4.1– औद्योगिक नीति 2014–19 की कालावधि दिनांक 01.11.2014 से 31.10.2019 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के इच्छुक उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु उपाबंध–2 में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित नवीन सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु जिनकी परियोजना लागत रू. 5 करोड़ तक है, को ही अनुदान की पात्रता होगी ।

4.2– यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया जावे ।

4.3– यदि भारत शासन /राज्य शासन या इसके किसी निगम /बोर्ड /मंडल /आयोग या वित्तीय संस्था/ बैंक से मार्जिन मनी अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अर्न्तगत पात्रता नहीं होगी।

4.4– स्वीकृत पूंजीगत लागत की न्यूनतम 5 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतों से करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5) <u>अनुदान की मात्रा</u>

इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 35 लाख तथा एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को उद्योग की पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 40 लाख मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा ।

(6) प्रक्रिया

6.1– पात्र औद्योगिक इकाईयों को **"उपाबंध 1"** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र निम्नांकित दस्तावेजों (जो लागू हो) के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में देना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद **"उपाबंध –3"** में निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) वैध ई0एम0 पार्ट–1 /आई0ई0एम0/औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र ।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र/ भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/निःशक्तजन का प्रमाण पत्र, जो लागू हो।

(3) भारत सरकार / राज्य शासन के अन्य विभागों / वित्तीय संस्थाओं /बोर्ड /लघु उद्योग विकास बैंक आदि से स्थायी पूंजी निवेश/मार्जिन मनी पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत शपथ पत्र

(4) वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र।

(5) परियोजना हेतु न्यूनतम 5 प्रतिशत मार्जिन मनी राशि की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतों से करने संबंधी शपथ पत्र ।

(6) औद्योगिक नीति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत में कुशल, अकुशल व प्रबंधकीय श्रेणी में नियमानुसार रोजगार देने हेतु शपथ पत्र

6.2– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर परियोजना रिपोर्ट, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र एवं मार्जिन मनी की न्यूनतम व्यवस्था औद्योगिक इकाई द्वारा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र आदि का परीक्षण कर अनुदान की पात्रता संबंधी निर्णय लिया जावेगा। प्रकरण के परीक्षण में कोई स्थल निरीक्षण नहीं किया जावेगा।

6.3— प्रकरण स्वीकृत करने पर मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृति आदेश **उपाबंध 4** में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जावेगा। प्रकरण यदि निरस्तीकरण योग्य है तो इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जावेगा । प्रकरण के निरस्त होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 45 दिवसों में उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा ।

6.4— बजट आबंटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सबंधित वित्त पोषित वित्तीय संस्था/ बैंक को आर.टी.जी.एस. पद्धति से अनुदान राशि प्रेषित की जावेगी । अनुदान की राशि किसी भी स्थिति में नकद नहीं दी जायेगी। वित्त पोषित वित्तीय संस्थान/ बैंक द्वारा उक्त अनुदान की राशि इकाई के ऋण खाते में जमा की जावेगी ।

6.5— उद्योग संचालनालय द्वारा बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

6.6— मार्जिन मनी अनुदान हेतु बजट आबंटन अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु राज्य शासन के अनुसूचित जनजाति विशेषांश योजना/ आदिवासी उपयोजना से दिया जावेगा ।

6.7— जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

6.8— बजट आवंटन विलंब से उपलब्ध होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

6.9— मार्जिन मनी अनुदान योजना से संबंधित प्राप्त बजटीय राशि अग्रिम रूप से भी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को आबंटित की जा सकेगी।

(7) मार्जिन मनी अनुदान के वितरण की प्रक्रिया

(1) औद्योगिक इकाई .के पक्ष में ऋण स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् संबंधित बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मार्जिन मनी अनुदान की मांग की जावेगी ।

(2) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मार्जिन मनी अनुदान स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत अनुदान की राशि को बैंक ऋण स्वीकृति हेतु निर्धारित मार्जिन मनी की दर अनुसार किश्तों में भेजी जावेगी । उदाहरणार्थ यदि किसी इकाई के पक्ष में रूपये 1.00 करोड़ का ऋण स्वीकृत है व ऋण स्वीकृति पत्र के अनुसार रूपये 25.00 लाख की मार्जिन मनी (स्वीकृत ऋण का 25 प्रतिशत) औद्योगिक इकाई को दी जानी है तो इकाई को स्वीकृत ऋण का 5 प्रतिशत अर्थात् 5.00 लाख रूपये मार्जिन मनी की व्यवस्था स्वयं के स्त्रोतों से करनी होगी। यदि इकाई को प्रथम किश्त के रूप में रूपये 20 लाख मार्जिन मनी दी जाती है तो इस राशि का 5 प्रतिशत अर्थात् रूपेय 4.00 लाख मार्जिन मनी की व्यवस्था इकाई को स्वयं के स्त्रोतों से करनी होगी और रूपये 16.00 लाख अनुदान के रूप में दी जाएगी।

बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण का जिस अनुपात में वितरण किया जायेगा, उसी अनुपात में मार्जिन मनी अनुदान जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा दिया

जावेगा एवं औद्योगिक इकाई को भी उसी अनुपात में मार्जिन मनी, ऋण खाते में जमा करनी होगी व इस संबंध में बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा सूचित किये जाने पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा मार्जिन मनी अनुदान की राशि प्रेषित की जावेगी।

(3) उद्योग स्थापित होने के पश्चात् मार्जिन मनी अनुदान का समायोजन औद्योगिक। इकाई द्वारा प्रस्तुत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्लेम में किया जावेगा ।

(8) अपील /वाद

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने की दशा में जारी आदेश के विरूद्ध उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग को आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 45 दिवसों के भीतर औद्योगिक इकाई द्वारा अपील की जा सकेगी । अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(9) मार्जिन मनी अनुदान की वसूली

निम्न स्थितियों में मार्जिन मनी अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी–

9.1– औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृति / राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

9.2– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत निवेश से संबंधित कोई प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है ।

9.3– यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।

9.4– यदि तथ्यों को गलत ढ़ंग से प्रस्तुत कर या तथ्यों को छुपाकर बैंक ऋण स्वीकृत हुआ है ।

9.5– उपर्युक्त अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

9.6– मार्जिन मनी अनुदान की वसूली योग्य राशि किसी अन्य अनुदान में समायोजित भी की जा सकेगी ।

(10) स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, भार साधक सचिव/ उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

(11) योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

(12) इस योजना के अन्र्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

(13) नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(14) योजना का कियान्वयन

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

''उपाबंध–1''

(नियम 6.1)

''छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014'' के अन्तर्गत मार्जिन मनी अनुदान का आवेदन पत्र

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्यमी का वर्ग –

(महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/निःशक्तजन वर्ग /अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग)

3– उद्योग का आकार–

(सूक्ष्म उद्योग/ लघु उद्योग)

4– औद्योगिक इकाई का स्वरूप– नवीन

5– औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल

1 स्थान
2 विकास खण्ड
3 जिला

6– पंजीयन

1– ई0एम0 पार्ट–1/आशय पत्र /औद्योगिक लायसेंस/आई0ई0एम0

7– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

8– योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)

क्र0		राशि
(1)	भूमि – अ– भूमि का रकबा ब– वास्तविक कय मूल्य /प्रीमियम/ स– मुद्रांक शुल्क द– पंजीयन शुल्क योग	
(2)	शेड–भवन – 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 केन्टीन 7 श्रमिक विश्राम कक्ष 8 वाहन स्टैन्ड 9 सिक्यूरिटी पोस्ट 10 माल गोदाम योग	

(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) – 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 स्थापना संबंधी व्यय	
(4)	योग विद्युत आपूर्ति निवेश – अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश	
(5)	योग जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	महायोग	

9– सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

10– रोजगार –

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	राज्य के मूल निवासियों को प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल वर्ग अ .... ब .... स			
कुशल वर्ग अ .... ब .... स			
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ .... ब .... स			
योग			

11– विद्युत भार–

12– औद्योगिक इकाई के अन्य उद्योगों का विवरण –
1– नाम व पता
2– कारखाना स्थल
अ– ग्राम / नगर
ब– तहसील
स– जिला
द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य रियायतों /छूट का विवरण

13– अन्य

टीप– उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें ।

संलग्नः–

1. ई.एम. पार्ट–1
2. उद्यमी के वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र/ अभिलेख ।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

//शपथ पत्र//

1— यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।

2— यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सही है, किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है व न ही मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

3— छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो अपनाई जावेगी वह मुझे स्वीकार है ।

4— यह भी शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में राज्य के मूल निवासियों को अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत रोजगार न्यूनतम उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 05 वर्ष तक दिया जाता रहेगा ।

5— अनुदान मिलने में विलंब पर विभाग पर कोई दावा नहीं किया जावेगा ।

6— औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग/ निगम/ मंडल/ बोर्ड/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक में मार्जिन मनी अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग / निगम/ मंडल/ बोर्ड/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक में मार्जिन मनी अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

7— उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अथवा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय निर्धारित 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 30 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

8— अनुदान की राशि अन्य अनुदान योजनाओं में भी समायोजित किये जाने के संबंध में सहमति दी जाती है।

स्थान—
दिनांक —

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

"उपाबंध–2"

मार्जिन मनी अनुदान हेतु अपात्र उद्योगों की सूची

(औद्योगिक नीति 2014–19 का परिशिष्ट–2)

(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तंबाखू आधारित उद्योग

(2) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(3) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(4) आरा मिल (सॉ मिल)

(5) लेदर टैनरी

(6) स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना)

(7) किसी भी उत्पाद की रि–पैकिंग

(8) मिनरल वाटर

(9) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(10) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(11) चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(12) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग/ग्राईडिंग/पलवराइजिंग

(13) स्टोन क्रेशर/ गिट्टी निर्माण

(14) स्पंज आयरन

(15) क्लिंकर

(16) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

(ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में संतृप्त उद्योगों की सूची –

(1) राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग

(2) हालर मिल

(3) मुरमुरा मिल

(4) राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट

(5) खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई)/रिफाईनरी

(6) मिनी सीमेंट प्लांट

(7) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

टीप – संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में संपूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

"उपाबंध–3"

अभिस्वीकृति
(नियम 6.1)
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.................................
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता.. .... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014** .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.................... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन कमांक .... है ।

टीपः– भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
सील

"उपाबंध–4"

छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014 के अंतर्गत स्वीकृति आदेश (नियम 6.3)

कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम 2014** के नियम क्रमांक "6.3" में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन **मार्जिन मनी अनुदान** के भुगतान की निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है –

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन) :

3– उद्योग का संगठन– :

4– उद्यमी का वर्ग–

5– उत्पाद व प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन क्षमता–

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– अनुमोदित पूंजीगत लागत –

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –

....

....

(3) इस आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान राशि छत्तीसगढ़ स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2014 के अन्तर्गत स्वीकृति की जाने वाली राशि में समायोजित होगी।

(4) यह स्वीकृति अधिसूचना क्र. .... की शर्तों के अनुरूप है।

मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक /
उद्योग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र